FORM VII

Revised Certificate of Registration issued under Section 9(4) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 upon allotment of a new registration number.

(See sub-rule (2) of rule 8)

Revised Certificate of Registration of Society

I hereby certify that **BCE EDUCATION SOCIETY** (Name of the society) registered vide registration number 626 Dated **1-03-2007** District Registrar/Registrar, Chandigarh has been allotted a new Registration Number as under mentioned on this- **26th day of March, 2015** year under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Haryana Act No. 1 of 2012).

State Code		District Code			Year of Registration				Registration Number				
H	**R**	**0**	**1**	**2**	**2**	**0**	**1**	**5**	**0**	**1**	**1**	**8**	**9**

Name of the Society	Registered Office Address
BCE EDUCATION SOCIETY	**339-A INDIRA COLONY, 12 QUARTER ROAD, HISAR**

Issued under my hand at Hisar **26th day of March, 2015**

Seal:

Station:- Hisar

District Registrar of Societies
HISAR
(Signature of the District Registrar)
Firms & Societies, Hisar.

Certified to be a true copy

Distt. Registrar of Societies
HISAR

अनुबन्ध 1

सोसाईटी का आर्दश 'संगम ज्ञापन'

क्रम संख्या	विशय	वर्णन
1	सोसाइटी का नाम :	बी सी ई एज्यूकेशन सोसायटी
2	सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर होगा	339–ए, इन्दिरा कॉलोनी, 12 क्वार्टर रोड़, हिसार जिला हिसार।
3	अधिकारिता :	सोसाइटी/कल्ब हरियाणा राज्य के क्षेत्र के जिला हिसार में कार्य करेगी/करेगा।
4	सोसाइटी के लक्ष्य तथा उद्देश्यः इस समिति का मुख्य रूप से कार्य आई.टी. क्षेत्र में कम्पयूटर शिक्षा मुहैया कराना, तकनीकी शिक्षा व मैडिकल शिक्षा मुहैया कराना है। शिक्षा के लिएं सभी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना । समाज में धार्मिक विचारों और शिक्षा का प्रसार–प्रचार करना तथा विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागृत करना।	
(i)	नागरिकों को अपने अधिकार व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना। गांव में चौतरफा हो रहे विकास का आकलंन करना व इनके प्रति आम जन को जागरूक करना। जिस गली/एरिया में विकास न हुआ हो विकास करवाना व ऊर्जा व पानी का संरक्षण करना तथा इसके प्रति आमजन को जागरूक करना। गरीब व जरूरतमद व्यक्तियों को हर प्रकार से आधारभूत सुविधाएं जैंसे रोटी, कपड़ा व मकान प्रदान करने में सहयोग देना।	
(ii)	समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यो को बढ़ाव देना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना। स्कूलों का निर्माण करवाना ।	
(iii)	समाज में फैली सामाजिक कुरितियों जैसे बाल विवाह, देहज प्रथा, भ्रूण हत्या के उन्मूलन हेतू हर संभव प्रयास करना।	
(iv)	बेसहारा गऊओं के चारे व उनके आश्रय हेतू भरसक प्रयास करना।	
(v)	सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रौढ़ शिक्षा बाल शिक्षा को बढ़ावा देना तथा अनपढ़ बुर्जगों तथा बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाना तथा शिक्षा साम्रगी उपलब्ध करवाना, पुस्तकालयों का निर्माण करके उनमे अच्छी-अच्छी पुस्तकों की व्यवस्था करना। प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या को नियन्त्रण करने हेतू लोगों को जागरूक करना व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।	
(vi)	समाज में नशा खोरी को दूर करने के लिए हर संभाव प्रयत्न करना। इससे पीड़ित लोगों को नशीली वस्तुओं के सेवन से बचाना व इस मद पर खर्च हुए धन का सदुपयोग करवाना।	
(vii)	एड्स, कैंसर, मधुमेह एवम् अन्य जानलेवा बीमारी के प्रति आम जन को जागरूक करना व समय-समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करना।	

Bharat
प्रधान

सचिव

Naveen
खजाची

(viii)	भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक कुरीति को समाज में से उखाड़ फैंकने बारे प्रयास करना।
(ix)	बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतू लोगों को जागरूक करना एवम् प्रदूषण नियंत्रण हेतू भरसक प्रयास करना व गांव में पौधारोपण करना।
(x)	स्वच्छ पेयजल हेतू लोगों को जागरूक करना तथा सड़कों पर लाईटें लगवाना।
(xi)	राष्ट्रीय एकता तथा अन्तराष्ट्रीय मैत्री को बढावा देना ।
(xii)	साम्प्रदायिक तथा सामाजिक समन्वय तथा भाईचारा को बढावा देना।
(xiii)	धूमपान, शराब तथा मादक द्रव्य उपयोग के विरूद्ध निषेध के हेतु कार्य करना।
(xiv)	सामाजिक बुराई जैसेकि मादा भ्रूण हत्या, दहेज, शादी आदि के सामाजिक उत्सवों पर फिजूल खर्च, निर्णय इत्यादि लेने में महिलाओं को सशक्त करने में जागरूकता सृजित करना तथा सम्बोधित करना। महिलाओं व बेटियों को पढ़ाना व बिना दान दहेज के शादियां करवाना।
(xv)	सूचना तथा संचार प्रौधोगिक का प्रयोग करने सहित पारदर्शी रीति में नागरिक सेवाओं को प्रदान करने में लगाना
(xvi)	खेल तथा स्वास्थ्य ध्यान गतिविधियों को बढ़ाने के लिये कार्य करना।
(xvii)	समाज के अलाभ वर्ग को संगठित करना तथा सरकारी/गैर सरकारी कार्यक्रमों, विधिक उपबन्धों इत्यादि के अधीन उनके कार्यक्रम विषयों तथा सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी के उनके स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाना।

HISAR

Bharat Gnie7 Naveen

5. सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों के नाम जिसके प्रबन्धन कार्यों के नियत तथा उप–विधियां सौंपी जाती हैं, वे निम्न अनुसार हैं :

क्रम संख्या	नाम	पिता / पति का नाम	पता	आयु	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री भारत भूषण (प्रधान)	श्री देवराज शर्मा	339, इन्दिरा कॉलोनी, 12 क्वार्टर रोड़, हिसार तहसील व जिला हिसार।	40 साल	व्यपार	Bharat
2	हरिन्द्र मेहता (उप–प्रधान)	श्री औमप्रकाश मेहता	मकान नं0 652, ठण्डी सड़क, मिट मार्केट, हिसार तहसील व जिला हिसार।	25 साल	समाज सेवा	H mehta
3	श्री जगमोहन यादव (सचिव)	श्री जयसिंह	431, वार्ड नं0 8, यादव मोहल्ला, हिसार तहसील व जिला हिसार।	35 साल	समाज सेवा	[illegible]
4	श्री लोकेश असीजा (सहसचिव)	श्री राजेन्द्र असीजा	विजय नगर, हिसार तहसील व जिला हिसार।	35 साल	समाज सेवा	[illegible]
5	श्री नवीन कुमार (कोषाध्यक्ष)	श्री रतन लाल	46, इन्दिरा कॉलोनी, हिसार तहसील व जिला हिसार।	26 साल	समाज सेवा	Naveen
6	रणबीर सिंह (सदस्य)	श्री चतर सिंह	वार्ड नं0 14, न्यू शिव नगर, हिसार तहसील व जिला हिसार।	30 साल	सर्वीस	Ranbir Singh
7	सुनील कुमार (सदस्य)	श्री राजेन्द्र कुमार	364, सैक्टर–5, बिरखूवाला, हिसार तहसील व जिला हिसार।	30 साल	सर्वीस	Sunil

I know the above persons personally and they have signed in my presence.

Under the HRRS Act 2012, Haryana Act 1 of 2012 Chapter-III, Section -5 and Sub-Section I to XII and By-Laws Which is Conform Chapter 6 Section 24 to 28 and Chapter 15 Section 92 Sub-Section 1 to 4 Under the Provision of The HRRS Act 2012 and Amendment Act 2013 Only. Certified to be True Copy

Bharat
President

Sarpanch/Advocate/M.C.

Certified to be a true copy

Distt. Registrar of Societies
HISAR

District Registrar of Firms & Societies
Hisar, Haryana

सचिव

कोषाध्यक्ष

कॉलिजियम के बिना सोसायटी (बहु उद्देशीय) के लिए आदर्श उपविधियां

1. सोसायटी का नाम : बी सी ई एज्यूकेशन सोसायटी
2. सोसायटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 339–एं, इन्दिरा कॉलोनी, 12 क्वाटर्र रोड़, हिसार जिला हिसार ।
3. सोसायटी/कल्ब हरियाणा राज्य के क्षेत्र के भीतर **हिसार** जिला में अपनी मुख्य गतिविधियां करेगी।
4. **सदस्यता:**

(1) सोसायटी में संस्थापक सदस्यों/मूल अंषदाता सहित अधिकतम 250 सदस्य होंगे।

(2) पात्रता : सोसायटी के सदस्य के रूप में प्रवेष किये जाने के उद्देष्य से व्यक्ति :

(ii) प्रवेश की तिथि 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए,

(ii) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना चाहिए,

(iii) प्रवेश फीस तथा वार्षिक अंशदान फीस जमा करने चाहिए तथा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को ऐसी फीस के भुगतान के बकाया में नहीं होने चाहिए,

(iv) दिवालिया तथा विकृत चित नहीं होना चाहिए,

(v) एक वर्ष या अधिक के कारावास वाले नैतिक अद्यमता वाले किसी अपराध का सिद्वदोष नहीं होना चाहिए।

(3) सदस्यों की प्रकार/किस्म/प्रवर्ग: सोसायटी निम्न अनुसार सदस्यों चार विभिन्न प्रवर्गों की होगी :

(i) **संस्थापक सदस्य** – सदस्य जो सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के समय पर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है तथा सोसायटी को अपेक्षित सदस्यता फीस का भुगतान कर दिया है। संस्थापक सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं

Bhagat
प्रधान

सचिव

Naveen

होगी। संस्थापक सदस्य सोसायटी के आजीवन सदस्य बने हुए भी समझे जाएंगे तथा यदि सोसायटी के सदस्यों की कुल संख्या 300 से अधिक है तो निर्वाचन के बिना कॉलिजियम के सदस्य होने के नाते विशेषाधिकार रखेंगे।

(ii) **आजीवन सदस्य** – किसी व्यक्ति के विहित फीस के भुगतान पर आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है तथा ऐसा व्यक्ति उसके जीवन के लिए सोसयटी के सदस्य के रूप में बना रहेगा। आजीवन सदस्यों की कुल संख्या 250 ..... से अधिक नहीं होगी।

(iii) **साधारण सदस्य** – सोसायटी में कुल .....300..... साधारण सदस्य होंगे जो उनकी वार्षिक अंशदान फीस के भुगतान के बकाया में न होने तक केवल अपनी सदस्यता का निरन्तर उपभोग करेंगें। साधारण सदस्य को पदावधि सदस्य के रूप में अर्थात दो से पांच वर्ष (वर्षों), जैसी भी स्थिति हो, की अवधि के लिए शामिल किया जा सकता है तथा वह उसकी पदावधि के पूरा होने पर सोसायटी के सदस्य के रूप में समाप्त जब तक रहेगा तब तक दूसरी पदावधि के लिए शासकीय निकाय द्वारा इसे नवीकृत नहीं किया जाता है।

(iv) **अवैतनिक सदस्य** – शासकीय निकाय विख्यात प्रतिभा तथा मैरिट के व्यक्तियों को शामिल कर सकती है या जिसकी संस्था सोसायटी के लिए लाभप्रद के रूप में समझी जाती है या जिसमें सोसायटी के लिए उत्कृष्ट मैरिट की सेवाएं अर्पित की हैं या जो सोसायटी के अवैतनिक सदस्य के रूप में भारत का या किसी अन्य देश का विख्यात नागरिक है को

Bharat सचिव खजाची Naveen

व्यक्तिगत सहमति प्राप्त करने के बाद किसी सदस्यता या अंशदान फीस के भुगतान के बिना शामिल किया जा सकता है। ऐसे अवैतनिक सदस्यों की संख्या .....25.....से अधिक नहीं होगी। अवैतनिक सदस्य बैठक में उपस्थित होने तथा विचार विमर्श में सहायक होंगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) **सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान :**

(i) सोसायटी की सदस्यता के लिए दरें तथा वार्षिक अंशदान निम्न अनुसार होगा :

जो सोसाइटी द्वारा अपनी उपविधियों में निर्णात किए जाए			
क्रम संख्या	सदस्य की किस्म	प्रवेस फीस	वार्षिक अंशदान
1.	संस्थापक सदस्य	1100 /–रूपये	—
2.	आजीवन सदस्य	1100 /–रूपये	—
3.	साधारण सदस्य	500 /–रूपये	शून्य
4.	अवैतनिक सदस्य	500 /– रुपये	शून्य

(ii) सदस्य के वार्षिक अंशदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को देय होगा, जो ऐसे वर्ष के जून के 30 वें दिन तक अन्तिम रूप में भुगतान किया जा सकता है। चूककर्ता सदस्य की सदस्यता देय तिथि (30 जून) के बाद निलम्बनाधीन के रूप में समझा जाएगी तथा ऐसा सदस्य कथित वर्ष की प्रथम जुलाई के बाद कराए गए सोसाइटी के निर्वाचनों के दौरान अपना मत डालने के हकदार नहीं होगें।

(iii) वार्षिक अंशदान के भुगतान में चुक के कारण सदस्यता का निलम्बन भुगतान योग्य राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित चूक को चुकाने के बाद रद्द किया जा सकता है। तथापि,

Bharat — प्रधान | सचिव | खजाची

वह बाकी के वित्तीय वर्ष के दौरान कराए गए किसी निर्वाचन में अपना मत डालने के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) **प्रवेश प्रक्रिया (अंशदाता से अन्यथा सदस्यों के लिए) :**

(i) सोसायटी के सदस्य के रूप में किसी के रूप में किसी व्यक्ति का प्रवेश समय–समय पर उसके शासकीय निकाय द्वारा निर्णित किया जाएगा

(ii) सोसायटी के सदस्य के रूप में इच्छुक व्यक्ति विहित प्ररूप में तथा विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित तथा सोसायटी के नियमित सदस्य द्वारा अनुशासित सचिव को समर्थित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(iii) सचिव आवेदन की जांच करेगा तथा उसे निर्णय के लिए शासकीय के सम्मुख रखेगा।

(iv) शासकीय निकाय आवेदन को स्वीकृत या रद्द कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में शासकीय निकाय का निर्णय अन्तिम होगा। यह इसके निर्णय के लिए कोई कारण देने हेतू बाध्य नहीं होगा।

(v) शासकीय निकाय का अनुमोदन सदस्य को सूचित किया जाएगा, उसका नाम हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम, 2012 के अधिन यथा विहित ऐसी रीति तथा प्ररूप में रखे जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा उसे सोसायटी का पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(6) प्रत्येक सदस्य के लिए पहचान पत्र सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक सदस्य को सोसायटी के व्यक्तिगत सदस्य तथा महासचिव द्वारा विधिवत्

Bharat प्रधान | सचिव | Naveen

हस्ताक्षरित उसके फोटो संक्षिप्त ब्यौरों तथा सदस्यता प्रवर्ग वाला पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(7) **सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताएं :**

(i) सोसाइटी के सभी सदस्य इसकी उपविधियों में यथा अन्तर्विष्ट तथ समय–समय पर संशोधित सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों द्वारा बाध्य होगें।

(ii) अवैतनिक सदस्य के सिवाए प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के निर्वाचन में अपना मत डालने का अधिकार होगा परन्तु ऐसा सदस्य सोसाइटी के किसी देयों तथा देय तिथि से आगे तीन मास की अवधि के लिए वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूककर्ता नहीं है,

(iii) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस देते हुए किसी कार्य दिवस को सोसाइटी की लेखा पुस्तकों, सामान्य बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत वाली पुस्तकों, शासकीय निकाय की बैठकों तथा सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(iv) प्रत्येक सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में सोसाइटी को सूचित करेगा, जो सोसाइटी के सदस्यों के रजिस्टर में विधिवत् अभिलिखित किया जाएगा तथा जिसके बाद सोसाइटी ऐसे सदस्य कोनया पहचान पत्र जारी करेगी।

(8) **सदस्यता की समाप्ति :**

(i) अधिनियम धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को आकर्षित करने

(ii) सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रतिकूल उसके कार्य करने पर

(iii) ऐसे सदस्य के सोसायटी की निधियों का वित्तीय गबन का दोषी पाये जाने पर

Bharat Gulab Naveen

(iv) सोसायटी के जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/महा रजिस्ट्रार द्वारा हटाने के लिए अभ्यारोपण तथा निदेशनों पर

(v) अवैतनिक सदस्य सोसायटी के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा यदि शासकीय निकाय इस नियमित संकल्प पारित करते हुए ऐसा निर्णय करता है।

5. **सामान्य निकाय** :

(1) सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सोसाइटी के शासकीय निकाय का सदस्य होगा तथा सोसाइटी के शासकीय निकाय के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए जब तक हकदार होगा तब तक वह वार्षिक अंशदान सहित सोसाइटी के किन्ही देयों के भुगतान के बकायों में नही रहता है।

(2) प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरूष मतदान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

6. **सामान्य निकाय की बैठकें** :

(i) सोसायटी के सामान्य निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो, बुलाई जाएगी। तथापि, सोसायटी के सामान्य निकाय की कम से कम एक बैठक बुलाई जाएगी जैसाकि वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) यथा अपेक्षित सोसायटी के किसी अन्य कारबार के संव्यवहार के अतिरिक्त सोसायटी के विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के विचारण तथा अंगीकरण के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर एक वर्ष में बुलाई जाएगी।

(ii) सोसायटी का शासकीय निकाय या तो वह स्वंय या सामान्य निकाय के सदस्यों के कम से कम 1/10 से ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारणों सहित लिखित मांग की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इसके अधीन यथा विहित उचित नोटिस देने के बाद किसी समय पर सोसायटी के सामान्य निकाय की असाधारण बैठक बुला सकता है।

(iii) सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिए संव्यहारित किये जाने वाले कारबार के ऐजेन्डे की प्रति, बैठक की तिथि, समय तथा स्थान सहित कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस सामान्य निकाय के सदस्यों को दिया जाएगा। ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित की जाएगी।

(iv) सामान्य निकाय की बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों के बहुमत द्वारा (कुल सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक) यदि सहमत हों, लघु नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है।

(v) सामान्य निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम चार सदस्यों के अध्यधीन मत के लिए हकदार तथा व्यक्तिगत रूप में उपस्थित कुल सदस्यों के 40 प्रतिशत से होगी। गणपूर्ति की कमी के लिए स्थगित बैठक की दशा में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति, अधिकतम तीनके अध्यधीन, कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी। सामान्य निकाय किसी विशेष संकल्प के विचारण के सिवाए ऐसी स्थगित बैठक में सभी कारबार पूरे करने के लिए सक्षम होगा। कोई विशेष संकल्प केवल ऐसी स्थगित बैठक में पारित किया जाएगा यदि सोसायटी का कम से कम 25 प्रतिशत उपस्थित है।

(v) सामान्य निकाय की सभी बैठकों की कार्यवाहियां सचिव द्वारा प्रयोजन के लिए अलग रूप से रखी गई कार्यवृत पुस्तक (बांधी गई या खुल्ले पन्नों में) में अभिलिखित की जाएंगी तथा ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसायटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किये जाएंगे।

7. **सामान्य निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य :–**

(i) सोसायटी को इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का अवधारण करने तथा पूरा करने में गाइड करना।

Bharat
प्रधान

सचिव

Naveen

(ii) पॉलिसी मामलों का निर्णय करना जैसे कि सोसायटी के नाम का परिवर्तन, सोसायटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों में संशोधन, सोसायटी के वार्षिक लेखों का अनुमोदन, सोसायटी इत्यादि की अचल परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए अनुमोदन तथा सभी ऐसे अन्य कार्य जो हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम तथा नियम, 2012 के अधीन अपेक्षित हों।

(iii) शासकीय निकाय के सदस्यों को निर्वाचित करना।

(iv) शासकीय निकाय से किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक रिक्ति के विरूद्ध शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करना।

8. **शासकीय निकाय** :

(1) संयोजन : सोसायटी का शासकीय निकाय निम्न अनुसार कुल 11 पदाधिकारियों तथा सदस्यों का होगा

(क) प्रधान

(ख) उप प्रधान

(ग) महा सचिव / सचिव

(घ) संयुक्त सचिव

(ङ) खजांची

(च) शासकीय निकाय द्वारा अवैतनिक सदस्य के सहयोजन सहित छह कार्यकारी सदस्य

District Registrar of Societies Registration of Societies Act, 2012 & Amendment Act, 2013 HISAR

(2) **शासकीय निकाय का निर्वाचन** :

(i) शासकीय निकाय की अवधि जिला रजिस्ट्रार द्वारा इसके निर्वाचन के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की होगी।

Bharat
प्रधान

सचिव

Naveen

(ii) शासकीय निकाय निर्वाचनों को करवाने के लिए निर्वाचन की अनुसूचि घोषित करेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा तथा निर्वाचनों को करवाने के लिए सामान्य बैठक को बुलाने से कम से कम 45 दिन पूर्व मत के हकदार सामान्य निकाय के सदस्यों की सूचि भी अधिसूचित/प्रदर्शित करेगा। शासकीय निकाय तिथि, समय तथा रीति सूचित करते हुए सभी सदस्यों को शासकीय निकाय के निर्वाचन करवाने के लिए नोटिस भी भेजेगा। शासकीय निकाय के लिए निर्वाचन करवाने के सम्बन्ध में सूचना जिला रजिस्ट्रार को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए भी भेजेगा, यदि वह ऐसी इच्छा करें।

(iii) मत के लिए हकदार सोसायटी के सदस्सों की सूचि के रूप में किसी आक्षेप का सोसायटी के पदाधिकारियों के साथ परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णित किया जाएगा। तथापि, रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय राय की किसी भिन्नता की घटना में अन्तिम होगा। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन की अनुसूचि, नामांकन की संवीक्षा तथा वापसी, यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतर दायर किये जाने के लिए नामांकन आमंत्रित करेगा।

(iv) रिटर्निंग अधिकारी सोसायटी के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की सूचि प्रदर्शित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी अधिसचित तिथि को निर्वाचन करवाएगा। मत के लिए पात्र सदस्य की स्वयं तथा जहां कहीं विवाद हो, सोसायटी द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रस्तुति पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

Bharat
प्रधान

(v) मतदान की तिथि को समय की समाप्ति के बाद, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा सोसायटी का शासकीय निकाय गठित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शासकीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों की सूची 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा, जो अपनी संतुष्टि पर उसका अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।

(vi) सोसायटी के पदाधिकारी सोसायटी की सेवाएं देने के लिए किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होंगे।

(3) **शासकीय निकाय की किसी आकस्मिक रिक्ति को भरना :–**

शासकीय निकाय के किसी सदस्य के त्यागपत्र तथा मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्ति सोसायटी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक करने तदर्थ आधार पर सामान्य निकाय के सदस्यों में से, यदि अपेक्षित हो, शासकीय निकाय द्वारा भरी जा सकती है। शासकीय निकाय के ऐसे तदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा, यदि उसको नियुक्ति शासकीय निकाय की शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित नहीं की जाती है।

(4) **शासकीय निकाय की बैठक :–**

(i) शासकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी। तथापि, शासकीय निकाय प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा वित्त वर्ष में शासकीय निकाय की कम से कम चार बैठक होगी।

(ii) प्रत्येक ऐसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को शासकीय निकाय

Bharat
प्रधान

सचिव

Naveen

के सचिव द्वारा दिया जाएगा। तथापि, शासकीय निकाय इसके सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत की सहमति से जब कभी ऐसा अपेक्षित हो, लघु नोटिस पर बैठक कर सकता है।

(iii) शासकीय निकायों की बैठकों की गणपूर्ति, अधिकतम 5 सदस्यों के अध्यधीन, शासकीय निकाय के कुल सदस्यों के कम से कम 40 प्रतिशत से होगी। यदि गणपूर्ति विद्यमान नहीं हैं, तो बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी। जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकतम तीन सदस्यों के अध्यधीन स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्य स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।

(iv) शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप में रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी। ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसायटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे। यदि अध्यक्ष या सचिव कार्यवृत हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो वे शासकीय निकाय द्वारा यथा प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्हीं दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाएंगे।

(v) शासकीय निकाय को प्रत्येक बैठक के कार्यवृत शासकीय निकाय की परवर्ती बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाएंगे।

(5) **शासकीय निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य :–**

(i) शासकीय निकाय सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा सोसायटी के सर्वोतम हित में कार्य करेगा जिसके लिए इसे कथित उद्देश्यों के लिए सोसायटी की निधियों तथा परिसम्पत्तियों के फैलाव के लिए सशक्त किया जाएगा।

Bharat
प्रधान

सचिव

Jeevan

(ii) शासकीय निकाय इस द्वारा यथा निर्णित इसके नाम से निधियां उठाने तथा पूर्णस्वामित्व या पट्टा आधार पर चल तथा अचल सम्पत्ति खरीदने के लिए सक्षम होगा।

(iii) शासकीय निकाय सोसायटी से सम्बन्धित या में निहित सभी अचल सम्पत्तियों तथा चल परिसम्पत्तियों का सम्पूर्ण प्रभार रखेगा तथा इन्हें ऐसी रीति में प्रबन्धित करेगा जैसा यह सोसायटी के शासकीय निकाय के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्देशन के अध्यधीन उचित समझे।

(iv) शासकीय निकाय रीति जो वह सोसायटी के सर्वोत्तम हित में उचित समझे, में निधियां निवेश करने के लिए सक्षम होगा तथा यह निर्णीत रीति में सोसायटी की ओर से सम्पत्तियां उधार लेने या गिरवी रखने या बन्धक रखने के लिए सक्षम होगा।

(v) ऐसे कृत्यों जो समय–समय पर सोंपे जांए, की देखभाल करने के लिए विभिन्न स्थाई या तदर्थ समितियां गठन करना।

(vi) सीविनहित रीति में लिपिकीय, लेखा तथा अन्य कृत्यों की देखभाल करने के लिए सोसायटी के नियमित या अंशकालिक कर्मचारियों को लगाने के लिए प्रबन्ध सृजित करना।

(vii) बाहरी स्रोत से कतिपय कृत्य करना अर्थात् सोसायटी के परिसरों की सफाई सुरक्षा तथा समरूप अन्य रख रखाव गतिविधियां।

(6) **शासकीय निकाय के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्यः–**

(i) **प्रधान**

(क) सामान्य निकाय की तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियां नियन्त्रित करना।

Bharat
प्रधान

सचिव

Naveen
खजाची

(ख) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा समय–समय पर सामान्य निकाय तथा/या शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(ग) किसी मामले पर विचार विमर्श को अनुज्ञात या अस्वीकार करना जो एजेन्डे में शामिल नहीं किया जाता है।

(घ) सोसायटी/शासकीय निकाय के उचित तथा पारदर्शी कृत्य करना सुनिश्चित करना।

(ङ) हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम 2012 तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करना।

(च) सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियों का पर्यवेक्षण तथा गाइड करना।

(ii) **उप प्रधान :**

(क) प्रधान की उसके कर्तव्यों को करने में सहायता करना।

(ख) प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान की ओर से कार्य करना तथा सभी कर्तव्यों को पूरा करना तथा सभी शक्तियों का प्रयोग करना।

(ग) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(iii) **महा सचिव/सचिव :**

(क) सोसायटी के सभी कार्यों को करना, संघटित करना, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध करना तथा सोसायटी के कार्य के लिए सभी ऐसे कार्य करना तथा सभी ऐसे कर्तव्य पूरे करना जो प्रधान/शासकीय निकाय द्वारा सौंपें जाएं।

Bharat
प्रधान

सचिव

Naveen

(ख) शासकीय निकाय के सम्मुख सोसायटी की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करना, संवीक्षा करना तथा रखना तथा सदस्य का नाम उसके आधक्षर के अधीन सदस्यों के रजिस्टर में, यदि अनुमोदित हो, दर्ज करना तथा उसके बारे में सदस्यों को सूचित करना तथा इस प्रकार शामिल किये गए सदस्यों को पहचान पत्रा जारी करना।

(ग) प्रधान की सहमति से सामान्य निकाय/शासकीय निकाय की बैठक आयोजित करना तथा इन उपविधियों के अधीन यक्षा विहित उचित नोटिस तामिल करना।

(घ) सामान्य निकाय तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों में हाजिर होना तथा बैठकें करने में प्रधान की सहायता करना तथा सभी बैठकों को कार्यवाहियों का रिकार्ड करना।

(ङ) सोसायटी की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसे रखने के अनुमोदन के लिए सोसायटी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित शासकीय निकाय के सम्मुख उसे रखना।

(च) सोसायटी/शासकीय निकाय का रिकार्ड रखना तथा परिरक्षण करना।

(छ) सोसायटी के सम्पूर्ण कार्यों की देखभाल करने में तथा सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रधान की सहायता करना तथा सहयोग देना।

(ज) जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी वैधानिक विवरणी/दस्तोवजों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारों को समय पर दायर करना सुनिश्चित करना जो हरियाणा सोसायटी

प्रधान सचिव खजाची

रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए जाएं।

(झ) सोसायटी की सामान्य मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अभिरक्षक होना तथा शासकीय निकाय के अनुमोदन के अनुसार, जहां कहीं अपेक्षित हो, उसे लगाना।

(ञ) सोसायटी/शासकीय निकाय की ओर से पत्राचार करना तथा उसकी ओर से पत्रों तथा कागजों पर हस्ताक्षर करना तथा सुनिश्चित करना कि सभी वैधानिक रजिस्टर तथा रिकार्ड को उचित रूप से रखे तथा अनुरक्षित किए जा रहे हैं।

(ट) निर्वाचन तथा वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि की घोषणा से पूर्व/मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार, विधिवत अद्यतन करना तथा शासकीय निकाय के सम्मुख इसे रखना।

(ठ) सोसायटी के सभी कार्यक्रमों के प्रशासन तथा निष्पादन के सम्पूर्ण प्रभारी के रूप में कार्य करना/ जिसमें पदों का सृजन, वेतन/पारिश्रमिक/भत्तों इत्यादि का नियतन, अमले की नियुक्तियां करने/लगाने, खरीद करने सहित शासकीय निकाय की ओर से वित्तीय कार्य शामिल हैं तथा सभी अन्य ऐसे काम करना जो समय–समय पर शासकीय निकाय द्वारा प्रत्यायोजन के अनुसार सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रोत्साहन में आवश्यक तों तथा जहां कोई भी ऐसा प्रत्यायोजन सोसायटी के प्रधान के परामर्श से विशिष्ट रूप से नहीं किया जाता है।

(iv) **संयुक्त सचिव** :

District Registrar of Societies Haryana Registration of Societies Act, 2012 & Amendment Act, 2013 HISAR

Bharat

(क) सोसायटी के महा सचिव/सचिव की उसके कृत्यों तथा कर्तव्यों को करने में सहायता करना,

(ख) शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत सीमा तक उसकी अनुपस्थिति में सोसायटी के सामान्य सचिव/सचिव के कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना।

(ग) ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्यों की देखभाल करना तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जो समय–समय पर सोसायटी के शासकीय निकाय द्वारा सोंपे तथा प्रत्यायोजित किए जाएं।

(v) **खजांची** :

(क) सोसायटी के सभी वित्तीय संव्यवहारों तथा सोसायटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशियों के लेखे रखना तथा ऐसे मामलों से सम्बन्धित, तथा परिसम्पति, जमा तथा दायित्वों की प्राप्तियों तथा खर्चो का रिकार्ड रखना।

(ख) प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासकीय निकाय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित सोसायटी के लेखे प्राप्त करना।

(ग) वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व सोसायटी के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे महा सचिव/सचिव के माध्यम से शासकीय निकाय को प्रस्तुत करना।

(घ) सोसायटी की सभी लेखा पुस्तकों, वित्तीय विवरणी, रसीद पुस्तकों, व्यय वाउचरों, बैंक पास बुक तथा चैक बुक, नकदी इत्यादि के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में कार्य करना।

Bharat
प्रधान

सचिव

Naveen
खंजाची

(7) **शासकीय निकाय के सदस्यों की समाप्ति** – शासकीय निकाय के पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य के रूप में नहीं रहेंगे।

(क) उसके त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर तथा स्वीकृति पर

(ख) यदि वह इन उप विधियों के खण्ड 4 के उप खण्ड (8) के अनुसार सदस्य के रूप में नहीं रहा है।

(ग) यदि उसे सामान्य निकाय की बैठक में पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है।

(8) **सोसायटी के नियोजन से अपवर्जन** :

(क) सोसायटी का कोई भी सदस्य सोसायटी के पूर्ण कालिक या अंशकालिक नियोजन में नहीं रहेगा।

(ख) शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का कोई भी आश्रित या पारिवारिक सदस्य या निकट सम्बन्धी उसकी अवधि के दौरान सोसायटी के कर्मचारी के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

(ग) शासकीय निकाय का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषणा करेगा यदि सोसायटी के नियोजन में कोई व्यक्ति उसका निकट सम्बन्धी है।

9 **सोसायटी के संगम ज्ञापन, उपविधियों नाम इत्यादि में संशोधन** – सोसायटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों या नाम का परिवर्तन, समामेलन या विभाजन में कोई संशोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल सामान्य निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा। अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित किसी ऐसे संशोधन या परिवर्तन की सूचना ऐसे समय के भीतर महा सचिव/सचिव द्वारा जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में दायर की जाएगी जो हरियाणा सोसायटी

Bhandt
प्रधान

सचिव

Naveen
खजाची

रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित की जाए।

10 **सोसायटी की परिसम्पति तथा निधियों का प्रबन्धन –**

(i) सोसायटी की आय के स्रोतों में सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान, सम्पति/परिसम्पति से किराया, ब्याज परामर्श फीस, दान, उपहार, अनुदान इत्यादि के मदे प्राप्तियां शामिल होंगी। सोसायटी इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त लघु अवधि कर्ज के द्वारा या ब्याज पर अनुसूचित बैंक से भी निधियां ले सकती है। ब्याज पर अनुसूचित बैंक से कर्ज केवल पूंजीगत परिसम्पति के सृजन की खरीद के लिए लेगा तथा न की किन्हीं परिस्थितियों के अधीन किसी आवर्ती राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए होगी।

(ii) शासकीय निकाय वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्च के आधार पर सोसायटी के वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा अनुमोदन करेगा तथा सूचना के/लिए वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसकी प्रति भी रखेगा।

(iii) सोसायटी के बैक लेखे ऐसे सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किए जाएंगे जो समय–समय पर शासकीय निकाय द्वारा निर्णित किया जाएगा।

(iv) सभी परिसम्पति तथा निधियां सोसायटी से सम्बन्धित होंगी तथा सोसायटी में निहित होंगी।

(v) सोसाटी की सभी प्राप्तियां तथा भुगतान बैंक दस्तावेजों के माध्यम से किये जाएंगे (अर्थात् डी.डी./पे आर्डर/ चैक/ बैंक ट्रांसफर/आर. टी.जी.एस.) जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान

Bhavat
प्रधान

सचिव

खजाची

की ओर सभी प्राप्तियां शामिल हैं। तथापि, शासकीय निकाय वित्तीय संव्यवहार की सीमाएं अवधारित कर सकता है जो कतिपय अन्य मामलों में नकद में की जा सकती हैं।

11 **सोसायटी के लेखे :**

(i) सोसायटी का खजांची आय कर कानून तथा/या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों अर्थात् रोकड़ बही, लेजर इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेवार होगा जिसमें सोसायटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियों तथा सोसायटी की परिसम्पति तथा दायित्वों के सम्बन्ध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत की चार्टर्ड लेखाकार की संस्था शामिल है।

(ii) सोसायटी की लेखा पुस्तकें सोसायटी के महा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तथा किसी सदस्य द्वारा कारबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएंगी।

(iii) सोसायटी के वार्षिक लेखे सोसायटी के किसी दो प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाएंगे।

(iv) शासकीय निकाय ऐसे पारिश्रमिक पर जो शासकीय निकाय द्वारा अवधारित किया जाए, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सोसायटी के लेखों की लेखा परीक्षा तथा आयकर विवरणी को दायर करने के लिए चार्टर्ड लेखाकार को नियुक्त करेगा, जो शासकीय निकाय का सदस्य या शासकीय निकाय के किसी सदस्य का पारिवारिक सदस्य ना होगा।

Bhomat
प्रधान

सचिव

Praveen
खजांची

12 **सामान्य मुद्रा** :– सोसाइटी के पास एक सामान्य मुद्रा होगी जो महा सचिव/सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी तथा शासकीय निकाय द्वारा अनुमोदन के अनुसार जहां कहीं पर यह अपेक्षित हो लगाई जायेगी।

13 **सोसायटी का समामेलन** :– सोसाइटी स्वंय को एक समान लक्ष्यों तथा उद्दश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसाइटी में समामेलित कर सकती है या अधिनियम की धारा 51 तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के नियम 25 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार इस निमित्त पारित विशेष संकल्प द्वारा स्वयं में समामेलति करने के लिये किसी अन्य सोसायटी को अनुज्ञात कर सकती है।

14 **सोसाइटी का विघटन** :–

(क) सोसाइटी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार स्वंय का विघटन करने के लिये प्रस्ताव कर सकती है। यदि सोसायटी की प्रक्रिया को चलाना कठिन हो जाता है या वह दिवालिया हो जाती है या किसी अन्य दबाव तथा अपरिहार्य कारणों से इसे चलाना कठिन हो जाता है।

(ख) सोसाइटी के विघटन की घटना में सोसायटी की कोई भी परिसम्पति सोसाइटी के सदस्यों को मिल जायेगी या में वितरित कर दी जायेगी।

(ग) इसकी परिसम्पत्ति तथा सम्पत्तियां पहले किसी दायित्व को निर्धारित करने के लिये प्रयोग की जायेगी तथा छोडी गई सम्पतियां/परिसम्पत्तियां यदि कोई हो समरूप/लक्ष्यों तथा उद्दश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसाइटी को या साधारण लोकहित में उसके प्रयोग के लिये जिला कलैक्टर को अन्तरण के लिये विचारी जायेगी।

Note:- Any clause which is against rules & regulation of Haryana Societies Act, 2012 will automatically inoperate.

"The Memorandum and by laws of the society as being presented before the District Registrar societies confirm to the provisions of the Act and the Model bylaws".

Bhanat

हम विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम तथा पते इसके नीचे अभिदत है, सोसाइटी को उप–विधियों की सही प्रति के रूप में उक्त को प्रमाणित करते हैं :–

क्रम सं0	नाम	पिता / पति का नाम	पता	आयु	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री भारत भूषण (प्रधान)	श्री देवराज शर्मा	339, इन्दिरा कॉलोनी, 12 क्वाटर्र रोड़, हिसार तहसील व जिला हिसार।	40 साल	व्यपार	Bharat
2	हरिन्द्र मेहता (उप–प्रधान)	श्री औमप्रकाश मेहता	मकान नं0 652, ठण्डी सड़क, मिट मार्केट, हिसार तहसील व जिला हिसार।	25 साल	समाज सेवा	Himehta
3	श्री जगमोहन यादव (सचिव)	श्री जयसिंह	431, वार्ड नं0 8, यादव मोहल्ला, हिसार तहसील व जिला हिसार।	35 साल	समाज सेवा	[illegible]
4	श्री लोकेश असीजा (सहसचिव)	श्री राजेन्द्र असीजा	विजय नगर, हिसार तहसील व जिला हिसार।	35 साल	समाज सेवा	[illegible]
5	श्री नवीन कुमार (कोषाध्यक्ष)	श्री रतन लाल	46, इन्दिरा कॉलोनी, हिसार तहसील व जिला हिसार।	26 साल	समाज सेवा	Naveen
6	रणबीर सिंह (सदस्य)	श्री चतर सिंह	वार्ड नं0 14, न्यू शिव नगर, हिसार तहसील व जिला हिसार।	30 साल	सर्वीस	Ranbir Singh
7	सुनील कुमार (सदस्य)	श्री राजेन्द्र कुमार	364, सैक्टर–5, बिरखूवाला, हिसार तहसील व जिला हिसार।	30 साल	सर्वीस	Sunil

I know the above persons personally and they have signed in my presence.

Under the HRRS Act-2012, Haryana
Rule 2012 Chapter-III, Section -6 and Sub-Section 1 to xii
and By-Laws Which is Conform Chapter 6 Section 24
to 28 and Chapter 15 Section 92 Sub-Section 1 to 4
Under the Provision of The HRRS Act 2012 and
Amendment Act 2013 Only. Certified to be True Copy

Bharat
President

Sarpanch/Advocate/M.C.

District Registrar of Firms & Societies
Hisar, Haryana

Certified to be a true copy

Distt. Registrar of Societies